[2007] 12 एस सी आर 1024

जी. एम. इंडियन बैंक

बनाम

आर. रानी व अन्य

6 दिसम्बर. 2007

[बी. एन. अग्रवाल व पी. पी. नौलेकर, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 366 (25) व 342- जाति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की जाति का सत्यापन-एक जिला स्तरीय समिति ने जाति प्रमाण पत्रो को रद्द कर दिया- परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया- उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया कि समिति का गठन ***कुमारी माधुरी पाटिल*** के मामले के अनुसार नहीं है- समिति के आदेश व समाप्ति आदेश रद्द कर दिया गया- उचित रूप से गठित समिति को नए सिरे से जांच करने के लिए निर्देश पारित किए गए- अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित-***कुमारी माधुरी पाटिल*** के मामले में दिए गये निर्देश न केवल मात्र दिशा निर्देश- सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र।

प्रतिवादीगण को सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर बैंको में नियुक्त किया गया था। बाद में यह पाया कि प्रतिवादीगण उस विशेष

समुदाय से संबंधित नहीं थे, जैसा उन्होनें दावा किया था। एक जिला स्तरीय समिति ने एक जांच की और यह पाया कि प्रतिवादीगण विशेष समुदाय से संबंधित नहीं थे, प्रमाणपत्र रद्द कर दिए। प्रतिवादीगण द्वारा जिला स्तरीय समिति के निर्णय को चुनौति दी। राज्य स्तरीय समिति ने उसे बरकरार रखा। इसी दौरान, प्रतिवादीगण की सेवायें समाप्त कर दी गयी थी। प्रतिवादीगण ने जिला स्तरीय समिति के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाऐं दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि समिति का गठन *कुमारी माधुरी पाटील के केस में दिए गये निर्देशों के अनुसार नहीं था। इसने समिति द्वारा जाति प्रमाणपत्रो को रद्द करने के आदेश एवं समाप्ती आदेशों, को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने विधिवत् रूप से गठित समितियों को पुनः जांच करने के आदेश दिए। कर्मचारियों के पुनः बहाली के निर्देश दिए गए। इस तरह, इण्डियन बैंक व भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की।

अपीलें खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित:

1.1 *कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में न्यायालय द्वारा जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए, तीन अधिकारियों की समिति के गठन के निर्देश दिए गए थे। कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में दिए गए कानून को बिना गिनती के कई बार, इस न्यायालय के, न केवल दो न्यायाधीशों की पीठ ने बल्कि तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भी दौहराया था। अतः यह नहीं कहा

जा सकता कि कुमारी माधुरी पाटिल के मामले में दिए गए निर्देश केवल साधारण दिशा निर्देश थे।

[चरण 6] [1029-बी-डी.]

*कुमारी माधुरी पाटिल व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातिय विकास व अन्य. **[1994] 6** एस.सी.सी **241;** कुमारी माधुरी पाटिल व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातिय विकास, ठाणे व अन्य., **[1997] 5** एस.सी.सी. **437;** बसवंत बनाम महाराष्ट राज्य व अन्य, जेटी (2000) 10 एससी 280; जनजातिय कल्याण निदेशक, ए.पी. सरकार बनाम लावेती गिरी व अन्य **[1995] 4** एस.सी.सी 32 व सुधाकर विठ्ठल कुंभारे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य **[2004]** 9 एस.सी.सी 481, पर भरोसा किया।

1.2 इस न्यायालय द्वारा * *लावेती गिरीके केस में पारित निर्णय मात्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हालांकि मसौदा नियम इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किये गये थे और उनके राज्य के राजपत्र में प्रकाशन के लिए निर्देश दिये गये थे परन्तु इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि *कुमारी माधुरी पाटिल* के मामले में समिति के गठन के सम्बन्ध में दिये गये निदेर्षो में किसी भी तरह का संशोधन किया गया हो। [चरण 6] [1029-जी-एच., 1030-ए]

* *निदेशक जन जातिय कल्याण, ए. पी. सरकार बनाम लावेती गिरी व अन्य बनाम **[1995] 4** एस.सी.सी 32, संदर्भित।

1.3 चूंकि जिला स्तरीय कमेटी का गठन इस न्यायालय द्वारा *कुमारी माधुरी पाटिल* के केस में निर्धारित कानून का उल्लंधन होने के कारण, मामले को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष अपील में लेकर दोष को ठीक नहीं किया जा सकता था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्तरीय कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी व समाप्ती के आदेश को निरस्त करना न्यायोचित था। **[चरण 8] [1030-बी –सी.]**

1.4 निवेदन की उच्च न्यायालय को बहाली का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था, ***सुधारक भट्ट कुंभारे के केस में तीन न्यायाधीश पीठ ने कमेटी के गठन की इसी दुर्बलता के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों की बहाली का निर्देश दिया था जब तक मामला समिति द्वारा पुनः विनिश्चित किया जावें। इस प्रकार प्रस्तुतीकरण में कोई सार नहीं है। **[चरण 9]** [1030-डी -ई]

***सुधाकर विठ्ठल कुंभारे बनाम महारष्ट्र राज्य व अन्य [2004] 9 एस.सी.सी 481, पर भरोसा किया।

1.5 जिला स्तरीय समिति, जिसका अब राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठन किया गया है, को मामले को नये सिरे से विधि के अनुसार निर्णित करने का निर्देश दिया जाता है। **[चरण 10]** [1030-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 54 /2005

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 2969 आफ 2002 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.03.2023 से।

साथ में

सिविल अपील संख्या 59-61, 55-57 ऑफ 2005, 50, 51 ऑफ 2006, 5661, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667 एवं 5668-5669 ऑफ 2007

आर मोहन, ए.एस.जी., राजू रामचन्द्रन, एल.एन राव, वी.के. राव, मधु सीकरी, साकेत सीकरी, सौरभ सुमन सिन्हा, रिशद अहमद चैधरी, वीजी प्रगासम, जोसेफ अरस्तू, एस. प्रभू रामा सुब्रमण्यम, वी. विजयषंकर, एस. अरविन्द, राकेश के शर्मा, डी. वर्मा, सेंथिल जगदीशन एवं अपर्णा भट्ट पक्षकारों के लिये उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

बी.एन अग्रावाल, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में निजी प्रतिवादीगणों को अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरूद्ध बैंकों में नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्होंने खुद को कोण्डारेड्डी समुदाय का सदस्य होने का दावा किया था। जो कि एक अनुसूचित जनजाति है। उनमें से अधिकांश को इण्डियन बैंक द्वारा नियुक्त

किया गया था। लेकिन उनमें से कुछ को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके पष्चात पता लगा कि वेकोण्डारेड्डी समुदाय से नहीं थे। जैसा कि निर्देशित जांच, जो कि जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई थी, जिसमें पता लगा कि वे कोण्डा रेड्डी समुदाय से सम्बन्ध नहीं रखते थे, एवं तदानुसार उनके पक्ष में दिये गये प्रमाणपत्र निरस्त किये गये। सिविल अपील संख्या 54/2005 को छोडकर सभी मामलों में निजी प्रतिवादीगणों ने जिला स्तरीय समिति के उक्त निर्णय को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष चुनौती दी, जिसने अधिकांश मामलों में इसकी पुष्टि की, जबकि अन्य कुछ मामलों में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष मामले लम्बित रहे। इसी दौरान जिला स्तरीय समिति के निर्णयों के अनुसार निजी प्रतिवादीगणों की सेवाऐं समाप्त कर दी गईं, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाऐं दाखिल करना आवश्यक हो गया, जिन्हें विभिन्न आदेशों द्वारा स्वीकार किया गया। सभी मामलों में समिति द्वारा प्रमाण पत्रों को रद्द करने व वस्तुतः समाप्ती के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। और यह निर्देशित किया गया कि विधिवत रूप से गठित समिति विधिअनुसार नये सिरे से जांच करने के लिये स्वतंत्र होगी। कुछ रिट याचिकाओं में बहाली के निर्देश भी दिये गये थे। बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ रिट याचिकाओं में यह निर्देशित किया गया कि विधिवत रूप से गठित समिति के परिणाम स्वरूप जांच के अधीन होगा। सिविल अपील

सं0 54/2005 में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध जब मामला अपील में लिया गया तो उसकी पुष्टि हो गई जबकि अन्य मामलों में कोई अपील दायर नहीं की गई। अतः इण्डियन बैंक के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेश अपीलों में विशेष अनुमति प्रदान की गई।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से पेष विद्वान अधिवक्ताओं ने अपील के समर्थन में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने हेतु न्यायासंगत नहीं था कि समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास व अन्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार नहीं था। क्योंकि उक्त निर्देश केवल समिति के गठन के मामले में महज दिशा निर्देश थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि जिला स्तरीय समिति के गठन में कोई खामी थी तो राज्य स्तरीय समिति जो कि विधिवत रूप से गठित थी, द्वारा आदेश की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। यह भी प्रस्तुत किया गया, कि निजी प्रतिवादीगणों को सेवा में बहाल करने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना उचित नहीं था।

4. हम पहले इस प्रष्न पर विचार करेने के लिये आगे बढते हैं कि क्या *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में निहित निर्देश केवल मात्र दिशा निर्देश थे या इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून था। *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) के मामले में उचित

विचार के पश्चात विभिन्न निर्देश दिये गये। पृष्ठ 254 के चरण 13 में निर्देश सं0 4 इस प्रकार हैः

"4. सभी राज्य सरकारें तीन अधिकारियों की एक समिति गठित करेंगी अर्थात्

(I) अतिरिक्त या संयुक्त सचिव या सम्बन्धित विभाग के निदेशक के पद से उच्चतर कोई अधिकारी, (II) निदेशक, समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (III) अनुसूचित जाति के मामलों में एक अन्य अधिकारी,जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन और जारी करने का गहन ज्ञान हो। अनुसूचित जनजाती के मामलों में, अनुसंधान अधिकारी जो जनजातियों, जनजातिय समुदायों, जनजातियों या जनजातिय समुदायों के कुछ हिस्सों या समुहों की पहचान करने का गहन ज्ञान हो।"

5. उपरोक्त निर्देश संख्या-4, के अनुसार, जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए समिति का गठन तीन व्यक्तियों से किया जावेगा अर्थात (I) एक प्रशासनिकअधिकारी, (II) निदेशक समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसी भी मामला हो, एवं (III) एवं अनुसूचित जाति के मामले में, एक अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन और जारी करने का गहन ज्ञान हो व अनुसूचित जनजाति के मामले में अनुसंधान अधिकारी जिसे जनजातियों, जनजातिय समुदायों,

जनजातियों के भागों या समूहों की पहचान करना या आदिवासी समुदाय का गहन ज्ञान हो। इसके पष्चात उपरोक्त आदेश को वापस लेने के लिये इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसका निस्तारण कुमारी माधुरी पाटिल व अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास ठाणे व अन्य **[1997] 5** एस सी सी 437 के मामले में किया गया थाव समिति के गठन में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

6. *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) के फैसले में दिये गये निर्देशों को आदिवासी कल्याण निदेशक ए0 पी0 सरकार बनाम लावेती गिरी व अन्य [1995] 4 एस सी सी 32 के मामले में दोहराया गया था। जिसमें दोहराते हुये यह देखा गया कि भारत सरकार को मामले को अधिक विस्तार से परीक्षण करना चाहिये और इन मामलों में एक समान विधि लानी चाहिये। बसवन्त बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य जे.टी. [2000] 10 एस सी 280 के मामले में इस न्यायालय ने माना कि समिति का गठन कुमारी माधुरी पाटिल(सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अपील स्वीकार की गई और *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) के इस न्यायालय के फैसले के अनुसार समिति का गठन करने हेतु एवं मामले को पुनः नये सिरे से फैसला करने का निर्देशन दिया गया है। *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा समिति के गठन के सम्बन्ध में पारित निर्देश इस न्यायालय द्वारा पारित तीन न्यायाधीश पीठ

द्वारा सुधाकर विठ्ठल कुम्हारे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य [2004] 09 एस सी सी 481 जिसमें मामले को उचित समिति जैसा कि कुमारी माधुरी पाटिल(सुप्रा) के केस में निर्देशित किया गया था। अपील स्वीकार की गई और यह निर्देशित किया गया कि मामले को विधिवत रूप से गठित समिति फैसला करेगी। उपरोक्त विवेचन से यह नहीं कहा जा सकता कि कुमारी माधुरी पाटिल (सुप्रा) में दिये गये निर्देश केवल दिशा निर्देश हैं। हमारे मत में,कुमारी माधुरी पाटिल (सुप्रा) में दिया गया कानून,इस न्यायालय द्वारा,अनगिनत बार, न केवल दो न्यायाधीश पीठ द्वारा बल्कि तीन न्यायाधीश पीठ द्वारा पुनरावृगित की गई।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने जनजातीय कल्याण निदेशक बनाम लावेती गिरी और अन्य [1997] 04 एस सी सी 271, के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें राज्य द्वारा मसौदा नियम तैयार किये गये थे। समिति के गठन के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश ने न्यायालय के समक्ष मामला रखा था और इस न्यायालय ने राज्य सरकार को इसे राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि मसौदा नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय समिति में छः व्यक्तियों और जिला स्तरीय समिति में पांच व्यक्तियों का गठन किया जाना आवश्यक था और नियमों में यह उल्लेखित किया गया था कि तीन व्यक्तियों की उपस्थिति बैठक के लिये आवश्यक कोरम पूरा

करेगी। समिति के जिला स्तरीय समिति में पांच सदस्यों में से एक श्रेणी में *कुमारी माधुरी पाटिल* (सुप्रा) के मामले में समिति के गठन के सम्बन्ध में किसी भी तरीके से संशोधन किया गया है। यह स्थिति होने के कारण, हमें अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की पहली प्रस्तुति में कोई सार नहीं मिला।

8. जहां तक दूसरे निवेदन का सम्बन्ध है, हमारा विचार है। चूंकि जिला स्तरीय समिति का गठन कुमारी माधुरी पाटिल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन था, इसलिये दोष नहीं दिया जा सकता था। मामले को राज्य सतरीय समिति में अपील में ले जाकर ठीक कर दिया गया है। यह स्थिति होने के कारण, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति और आदेशों को रद्द करना काफी उचित था।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अन्ततः कहा कि उच्च न्यायालय को बहाली का आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। इस बिन्दु को सुधाकर विठ्ठल कुम्भारे (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें समिति के संविधान में बहुत ही कमजोरी के आधार पर इस न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरी बहाल करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में हमें इस निवेदन में भी कोई सार नजर नहीं आता है।

10. उपरोक्त कारणों से हमें इन अपीलों में कोई सार नहीं मिलता है। जिन्हें तद्नुसार खारिज किया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा अब विधिवत गठित जिला स्तरीय समिति को छः माह की अवधि के अन्दर कानून के अनुसार मामले को नये सिरे से तय करने का निर्देश दिया जाता है। प्रकरण की इन परिस्थितियों में हम निर्देश देते हैं हर्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है।

एन0 जे0

अपीले खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी केशव कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।